

कार्यालय रजिस्टार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक फा.1(121)सविरा/प्रोसे/02/II/के.पाटन

दिनांक- 29/6/09

आदेश


सहकारी विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 11.2.09 के द्वारा सहकारी संस्थाओं यथा केशोरायपाटन सह.शुगर मिल लि० बून्दी, श्रीगंगानगर कोटन कोम्पलेक्स, स्पिनफैड जयपुर एवं तिलम संघ के अधिशेष कर्मचारियों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायतीराज, सहकारिता आदि विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 30.6.09 तक बढ़ाई गई थी इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा 31.3.2010 तक वृद्धि की गई है।

उक्त आदेश को वित्त विभाग की पत्रावली सं. प.1(2)वित्त/नियम/03 /पार्ट द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

  
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग राज. जयपुर।
3. शासन उप सचिव (प्र-2) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज. जयपुर।
4. शासन उप सचिव (प्र-1)(ग्रामीण विकास अनुभाग-1) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज. जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, तिलम संघ जयपुर।
6. उप रजिस्ट्रार(प्रशासन), प्र०का०, जयपुर।
7. कार्यकारी सचिव, स्पिनफैड, जयपुर।
8. अवसायक, केशोरायपाटन सह.शुगर मिल एवं संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, कोटा।
9. अवसायक, श्रीगंगानगर कोआपरेटिव कोटन कोम्पलेक्स लि० एवं प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० श्रीगंगानगर।

  
परियोजना निदेशक(प्रोसे)

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-ई-12/एम/के०पा०/14 पार्ट II/09/657

दिनांक : 29/6/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि० एवं स्वा० विभाग राज० जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त(नियम) विभाग, राज० जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकि० एवं स्वा० सेवाएँ जोन/समस्त मु०चि० एवं स्वा० अधि० राज०।
7. अवसायक, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ कोटा।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय कमरा न० 302 को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर आज ही अपडेट करे।

  
अति० निदेशक (प्रशा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर